झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

पत्र संख्या-वि0शो0सं0-01/2021-..1668.........../वि0स0।

प्रेषक,

मिथिलेश कुमार मिश्र,
संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सेवा में,

कुलपति, राँची विश्वविद्यालय, राँची।
कुलपति, सिद्धु-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका।
कुलपति, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।
कुलपति, नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदनीनगर।
कुलपति, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।
कुलपति, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद।
कुलपति, केन्द्रीय विश्वविद्यालय ब्राम्बे, राँची।
कुलपति, डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची।
कुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची।
निदेशक/प्राचार्य, आई0आई0टी0, धनबाद।
निदेशक/प्राचार्य, भारतीय प्रबंधन संस्थान आई0आई0एम0, राँची।
प्रतिकुलपति, राँची विश्वविद्यालय, राँची।
प्रतिकुलपति, सिद्धु-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका।
प्रतिकुलपति, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।
प्रतिकुलपति, नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदनीनगर।
प्रतिकुलपति, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।
प्रतिकुलपति, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद।
प्रतिकुलपति, केन्द्रीय विश्वविद्यालय ब्राम्बे, राँची।
प्रतिकुलपति, डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची।
प्रतिकुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची।
कुलपति, साईनाथ विश्वविद्यालय, राँची।
कुलपति, उषा मार्टिन विश्वविद्यालय, राँची।
कुलपति, झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, राँची।
कुलपति, बिड़ला इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा, राँची।
कुलपति, विश्वविद्यालय, मेसरा, राँची।
कुलपति, राधा गोविन्द विश्वविद्यालय, रामगढ़।
कुलपति, अमिटी विश्वविद्यालय, राँची।
कुलपति, सरला बिरला विश्वविद्यालय, राँची।
कुलपति, ए0आई0एस0ई0सी0टी0 विश्वविद्यालय, हजारीबाग।
कुलपति, झारखण्ड राय विश्वविद्यालय, राँची।
कुलपति, कैपिटल विश्वविद्यालय, कोडरमा।
कुलपति, अर्का जैन विश्वविद्यालय, राँची।
कुलपति, वाई0बी0एन0 विश्वविद्यालय, राँची।
कुलपति, रामचन्द्र चन्द्रवंशी विश्वविद्यालय, पलामू।
प्राचार्य, राँची वीमेन्स कॉलेज, राँची।
प्राचार्य, संत जेवियर्स कॉलेज, राँची।
प्राचार्य, मारवाड़ी कॉलेज, राँची।
निदेशक, एक्स0आई0एस0एस0, राँची।

(क्र0पृ0उ0)

निदेशक, एक्स0एल0आर0आई0, जमशेदपुर।
निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, राँची।

राँची, दिनांक-05/10/21

विषय :- झारखण्ड विधान सभा, राँची के विधायी शोध संदर्भ एवं प्रशिक्षण कोषांग के द्वारा आयोजित किये जाने वाली झारखण्ड छात्र संसद, कार्यक्रम में विद्यार्थियों को मनोनीत करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

निदेशानुसार सूचित करना है कि झारखण्ड विधान सभा के विधायी शोध संदर्भ एवं प्रशिक्षण कोषांग के द्वारा झारखण्ड छात्र संसद, आयोजित करने की योजना है। झारखण्ड छात्र संसद में राज्य के सभी जिलों के छात्रों का प्रतिनिधित्व अपेक्षित है।

उक्त छात्र संसद हेतु तीन चरणों में चयन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। चयन की प्रक्रिया एवं शर्त्ते निम्नवत है :-

01- प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा एक नोडल को नामित करते हुए उनके पूर्ण विवरणी नाम, पदनाम, मोबाईल नं0 एवं ईमेल के साथ सूचना विधान सभा को दिनांक-08.10.2021 के अन्दर दी जाय।

02- प्रत्येक विश्वविद्यालय से दो- दो छात्रों का मनोनयन राज्यस्तरीय स्पर्धा हेतु किया जाय, परन्तु राँची विश्वविद्यालय, राँची/सिद्धु-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका/विनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग/नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर/कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा/विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद द्वारा दो से ज्यादा छात्रों का मनोनयन इस प्रकार किया जाय कि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आनेवाले प्रत्येक जिले का प्रतिनिधित्व संभव हो सके। संबंधित सूचनाएँ (यथा-छात्रों का नाम, कॉलेज का नाम, संकाय, जन्म तिथि) दिनांक-21.10.2021 तक भेज दी जाय।

03- मनोनीत छात्रों द्वारा संलग्न सूची मे अंकित कुल विषयों में से एक विषय पर न्युनतम 500 शब्द में तथा अधिकतम 700 शब्दों का आलेख ईमेल- jvs.lrtc@gmail.com पर उनके मनोनयन के साथ निर्धारित तिथि तक भेजी जाय।

04- विश्वविद्यालय द्वारा नामित छात्रों के वेबीनार के माध्यम से सभा सचिवालय के विशेषज्ञों द्वारा विधायी प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस वेबीनार में जुड़ने के लिए छात्र अपना ईमेल आई0डी0/मोबाईल नम्बर नोडल पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे।

05- विश्वविद्यालय द्वारा नामित छात्र सभा सचिवालय द्वारा चयनित विशेषज्ञ पैनल के समक्ष उपर्युक्त विषय में से चयनित किसी एक विषय पर गुगल मीट के माध्यम से प्रस्तुति देगें एवं विशेषज्ञ पैनल उनमें से 24 छात्रों का चयन कर उन्हें अंतिम चरण के लिए नामित करेगा।

(कृ0पृ0उ0)

06- अंतिम 24 छात्रों में से 13 पक्ष एवं 11 विपक्ष के लिए चयनित किये जायंगे। दूसरे चरण में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सदन नेता एवं दूसरे स्थान पर आनेवाले छात्र को नेता प्रतिपक्ष का दायित्व सौपा जाएगा।

07- झारखण्ड छात्र संसद के आयोजन की प्रक्रिया ऑफ लाईन होगी एवं स्थल का निर्धारण ~~निर्माण~~ झारखण्ड विधान सभा, राँची के द्वारा किया जा सकेगा। झारखण्ड विधान सभा सभागार को प्राथमिकता दी जाएगी।

08- राँची में आयोजित किये जाने वाले झारखण्ड छात्र संसद के दौरान जिन छात्रों को आमंत्रित किया जाएगा, उनके आवासन, भोजन ~~भेजने~~ की व्यवस्था झारखण्ड विधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा प्रति छात्र 1000/- समेकित व्यय के रूप में कार्यक्रम के समापन के साथ ही तत्काल प्राप्त कर दिया जाएगा। अन्य किसी प्रकार के भुगतान का दावा अनुमान्य नहीं होगा।

09- झारखण्ड छात्र संसद का कार्यक्रम द्विदिवसीय होगा। प्रथम दिन समस्त प्रक्रियाओं से अवगत कराया जाएगा और दूसरे दिन छात्र संसद आयोजित की जाएगी।

10- झारखण्ड छात्र संसद में भाग लेने वाले सभी 24 छात्र-छात्रों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह् प्रदान किया जाएगा।

11- विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत किये गये छात्रों के आलेख एवं विडियो कांफ्रेसिंग के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग करने का सर्वाधिकार झारखण्ड विधान सभा के विशेषज्ञ समूह में निहित होगा।

12- झारखण्ड छात्र संसद हेतु विशेषज्ञ समूहों में झारखण्ड विधान सभा के वरिष्ठ माननीय सदस्य, राष्ट्रीय/राज्यस्तर के संवैधानिक/संसदीय विषयों के विशेषज्ञ सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक/राज्य सरकार/झारखण्ड विधान सभा के वरिष्ठ पदाधिकारी होंगे।

13- झारखण्ड के विश्वविद्यालय महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों का ही मनोनयन मान्य होंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रक्रियाओं के अधीन अपने विश्वविद्यालय से ~~छात्रों का~~ मनोनीत छात्रों की सूची सभा-सचिवालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

5/10/2021

(मिथिलेश कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

चम्पा/

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

प्रपत्र

फोटो

1. नाम :..

2. पिता का नाम :..

3. जन्म तिथि :..

4. विश्वविद्यालय का नाम :..

5. महाविद्यालय का नाम :..

6. संकाय :..

7. सत्र :..

8. मोबाईल नं०(वाट्सप नं०) :..

9. ई–मेल आई०डी० :..

10. पत्राचार का पता :..

....

....

11. स्थायी पता :..

....

....

नोडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

चयन की प्रक्रिया एवं शर्ते निम्नवत है :–

01– प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा एक नोडल को नामित करते हुए उनके पूर्ण विवरणी नाम, पदनाम, मोबाईल नं0 एवं ईमेल के साथ सूचना विधान सभा को दिनांक–08.10.2021 के अन्दर दी जाय।

02– प्रत्येक विश्वविद्यालय से दो–दो छात्रों का मनोनयन राज्य स्तरीय स्पर्धा हेतु किया जाय, परंतु राँची विश्वविद्यालय, रांची/सिद्धु–कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका/विनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग/नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर/कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा/बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद द्वारा दो से ज्यादा छात्रों का मनोनयन इस प्रकार किया जाय, कि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक जिले का प्रतिनिधित्व संभव हो सके। संबंधित सूचनाएँ (यथा–छात्र का नाम, कॉलेज का नाम, संकाय, जन्मतिथि) दिनांक–21.10.2021 तक भेज दी जाय।

03– मनोनीत छात्रों द्वारा लिखित निम्नांकित विषयों में से किसी एक विषय पर न्यून्तम 500 शब्दों में तक अधिकतम 700 शब्दों का आलेख Email-Id.jvs.lrtc@gmail.com पर उनके मनोनयन के साथ निर्धारित तिथि तक भेजी जाय :–

(क)– जलवायु परिवर्तन के प्रभाव एवं निदान के उपाय

(ख)– राज्य की खनिज सम्पदा का उत्खनन एवं पर्यावरण संबंधी चुनौतियों

(ग)– 75 वर्षों के आईने में भारतीय लोकतंत्र

(घ)– झारखण्ड राज्य की वन सम्पदा एवं संरक्षण के उपाय

(ड.)–पर्यावरण संरक्षण की वर्तमान कानूनी व्यवस्था एवं इसका संवर्धन।

04– विश्वविद्यालयों द्वारा नामित छात्रों को वेबीनार के माध्यम से सभा सचिवालय के विशेषज्ञों द्वारा विधायी प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस वेबीनार में जुड़ने के लिए छात्र अपना ईमेल आई.डी./मोबाईल नं0 नोडल पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

कृ0पृ0उ0

(05)– विश्वविद्यालयों द्वारा नामित छात्र सभा सचिवालय द्वारा चयनित विशेषज्ञ पैनल के समक्ष उपर्युक्त विषय में से चयनित किसी एक विषय पर गूगल मीट के माध्यम से प्रस्तुति देंगे एवं विशेषज्ञ पैनल उनमें से 24 छात्रों का चयन कर उन्हें अंतिम चरण के लिए नामित करेगा।

(06)– अंतिम 24 छात्रों में से 13 पक्ष एवं 11 विपक्ष के लिए चैयनित किए जाएंगे। दूसरे चरण में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्र को सदन नेता एवं दूसरे स्थान पर आने वाले छात्र को नेता, प्रतिपक्ष का दायित्व सौंपा जाएगा।

(07)– झारखण्ड छात्र संसद के आयोजन की प्रक्रिया ऑफ लाईन होगी एवं स्थल का निर्धारण झारखण्ड विधान सभा, रांची द्वारा किया जा सकेगा। झारखण्ड विधान सभा सभागार को प्राथमिकता दी जाएगी।

(08)– रांची में आयोजित किये जानेवाले झारखण्ड छात्र संसद के दौरान जिन छात्रों को आमंत्रित किया जायेगा, उनके आवासन, भोजन की व्यवस्था झारखण्ड विधान सभा द्वारा किया जाएगा। तथा प्रति छात्र 1000/– (एक हजार) रू0 सामेकित व्यय के रूप में कार्यक्रम के समापन के साथ ही तत्काल प्राप्त करा दिया जाएगा अन्य किसी प्रकार के भुगतान का दावा अनुमान्य नहीं होगा।

(09)– झारखण्ड छात्र संसद का कार्यक्रम द्विदिवसीय होगा। प्रथम दिन समस्त प्रक्रियाओं से अवगत कराया जायेगा और दूसरे दिन झारखण्ड छात्र संसद आयोजित की जायेगी।

(10)– झारखण्ड छात्र संसद में भाग लेनेवाले सभी 24 छात्र–छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह् प्रदान किया जायेगा।

(11)– विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत किये गये छात्रों के आलेख एवं वीडियों कॉंफ्रेसिंग के आधार पर शार्ट लिस्टिंग करने का सर्वाधिकार झारखण्ड विधान सभा के विशेषज्ञ समूह में निहित होगा।

कृ0पृ0उ0

(12)– झारखण्ड छात्र संसद हेतु विशेषज्ञ समूह में झारखण्ड विधान सभा के वरिष्ठ माननीय सदस्य, राष्ट्रीय/राज्यस्तर के संवैधानिक/संसदीय विषयों के विशेषज्ञ सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक/राज्य सरकार/झारखण्ड विधान सभा के वरिष्ठ पदाधिकारी होंगे।

(13)– झारखण्ड के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों का ही मनोनयन मान्य होगा।